बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (नालन्दा) 02–116/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–2460, दिनांक–18.04.2026 से प्राप्त आरोप के आधार पर **श्री मनोज कुमार दुबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहुई, नालन्दा** के विरुद्ध राजस्व दस्तावेजों की जाँच किये बिना ही मौजा–धमौली, थाना नं0–28 अन्तर्गत परिमार्जन के माध्यम से जगदीश महतो एवं लखन सिंह पिता–बंधु महतो वो अम्बिका सिंह के नाम से ऑफलाईन पंजी–2 के जमाबंदी संख्या–88 पर छेड़छाड़ करते हुए ऑनलाईन जमाबंदी भाग वर्तमान–1 पृष्ठ–88 कायम किये जाने, राजस्व अभिलेख में अनधिकृत एवं अवैध हस्तक्षेप किये जाने, अंचलाधिकारी, रहुई के पद पर पदस्थापित रहते हुए राजस्व मौजा धमौली, खाता सं०–42, खेसरा सं०–1310 से संबंधित भूमि के मामले में बिना किसी सक्षम प्राधिकार, वैध आदेश अथवा समुचित राजस्व जांच के ऑफलाईन रजिस्टर–II में अनधिकृत रूप से नाम परिवर्तन किये जाने एवं उसमें छेड़छाड़ करने, पूर्व से वैध रूप से कायम जमाबंदी के अस्तित्व में रहते हुए, दिनांक 19.11.2018 को एक ही भूमि पर नयी जमाबंदी सं०–88 अवैध रूप से कायम कर दी, जिससे एक ही भूमि पर दोहरी जमाबंदी का गठन किये जाने, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 एवं प्रचलित राजस्व नियमो का स्पष्ट उल्लंघन करने तथा पदीय उत्तरदायित्व के निर्वन में बरती गई लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी गंभीर आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुर्नगठित किया गया।

2. आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1168(15), दिनांक–30.07.2026 द्वारा श्री दुबे से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री दुबे द्वारा दिनांक–24.08.2026 से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) के परिशीलन/समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार दुबे के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नालन्दा** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री दुबे से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, नालन्दा/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नालन्दा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ/श्री मनोज कुमार दुबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहुई, नालन्दा सम्प्रति प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–116/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, खगड़िया एवं नालन्दा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ/श्री मनोज कुमार दुबे, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–116/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नालन्दा को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–116/2026–2123(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–12/11/26

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/11/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।